कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

चित्रकूटधाम क्षेत्र–बॉदा

पत्रांक : सी0डी0आर0 / स्था0 / 2018– 1787 दिनांक : 03-04-2018

-: टेन्डर/प्रस्ताव आमंत्रण सूचना :-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, चित्रकूटधाम क्षेत्र–बॉदा के क्षेत्रीय कार्यशाला, एवं समस्त डिपो बॉदा, महोबा, राठ एवं हमीरपुर डिपो में निगम की सम्पत्ति/कैश की सुरक्षा हेतु सुरक्षागार्डों की आवश्यकता है। इस हेतु निम्न अर्हताधारी एजेन्सियों से प्रस्ताव आवेदन पत्र सहित दिनांक 10.04.2018 तक आमंत्रित किये जाते है। प्रस्ताव एक लिफाफे में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में दिनांक 10.04.2018 को 11.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य रखे गये टेन्डर बाक्स में डाले जा सकते है। टेन्डर UPSRTC.Com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। लिफाफे पर एजेन्सी का स्पष्ट नाम व पता लिखा होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तावकों/टेन्डरदाताओं के समक्ष उसी दिन समय 15.00 बजे क्षेत्रीय समिति के समक्ष, लिफाफे खोले जायेगें और समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

-: निर्धारित मानक:-

1. बिडर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से फाईनेन्स एक्स 1994 (32ऑफ 1994) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. बिडर को (1) फर्म निबन्धक (2) श्रम विभाग (3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (4) सर्विस टैक्स/जी0एस0टी0 (5) पुलिस विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
3. बिडर को वित्तीय क्षमात का प्रमाण पत्र देना होगा तथा 01 लाख की बैंक गारन्टी अथवा 01 लाख की एफ0डी0 प्रस्ताव/आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
4. बिडर को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एक करोड का साल्वेन्सी सर्टिफिकेट देना होगा।
5. बिडर को किसी प्रतिष्ठित संस्था के फैसिलिटी मैनेजमेन्ट/मैनपावर सप्लाई का न्यूनतम 05 वर्ष का व परिवहन निगम में 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
6. बिडर को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिये पुलिस महानिदेषक स्तर से जारी अनुज्ञप्ति पत्र धारक होना चाहिए।
7. अन्य औपचारिकतायें समान होने पर आई0एस0ओ0 9001–2008 धारक बिडर को वरीयता दी जायेगी।
8. बिडर का जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
9. बिडर को भारतीय नागरिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होना आवश्यक है।
10. बिडर को इस बात का शपथपत्र देना होगा कि व भारतवर्ष में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टिड नहीं है।
11. बिडर का पिछले तीन वर्षों का औसत टर्नओवर 05 करोड होना चाहिए।
12. बिडकर्ता को उपरोक्त मानको के समर्थन में अभिलेखों की छायाप्रतियां लिफाफे में रखनी होगी और मूल प्रति व टेन्डर खुलने पर प्रस्तुत करेगा।

-: शर्तें :-

1. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध सुरक्षा गार्डों को पढा–लिखा, स्वस्थ, एवं उत्तम व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है।
2. एजेन्सी को सुरक्षागार्डों को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र जारी करना होगा तथा उसकी छायाप्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय चित्रकूटधाम क्षेत्र–बॉदा में जमा करानी होगी।
3. सुरक्षा गार्डों को पूर्ण यूनिफार्म में होने के साथ–साथ उनके पास डडा व तीन सेल की टार्च होनी अनिवार्य है।
4. बन्दूकधारी सुरक्षागार्ड के पास लाइसेन्सी बन्दूक होनी और इस योग्य हो कि विपरीत परिस्थिति में बन्दूक सफलतापूर्वक चला सके।
5. निगम परिसर में किसी प्रकार की चोरी/सामानों का दुरुपयोग आदि मामलों में एजेन्सी को उत्तरदायी मानते हुए कटौती आदि की कार्यवाही की जायेगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

6. एजेन्सी को परिवहन निगम की सुरक्षा में लगे गार्डों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरें, जो कि वेतन व अन्य सुविधा यथा–पी0एफ0, ई0पी0एफ0 आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार अपने स्तर से कार्यवाही करानी होगी, जिसका उ0प्र0 परिवहन निगम चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा।.
7. बिडर को अनुबन्ध से पूर्व लगाये जाने वाले सुरक्षा गार्डों का पुलिस सत्यापन कराना होगा, तथा सुरक्षा कर्मियों के पुलिस सत्यापन, नाम, पते पुलिस से सत्यापित कराने के उपरान्त पत्रों को एक–एक छायाप्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा में जमा करनी होगी।
8. एजेन्सी को श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। सर्विस चार्ज व सेवाकर इसके अतिरिक्त है। यह दर समय–समय पर परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा चार्ज पुनरीक्षित की जा सकती है। एजेन्सी को किसी प्रकार का अन्तरिम व अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। वैधानिक भुगतान प्रमाणपत्रों के आधार पर किये जायेगें।
9. उपलब्ध कराये गयें सुरक्षा गार्ड एजेन्सी के नियोजन में माने जायेगें। परिवहन निगम उनके भुगतान/कानूनी देयकों अथ्वा नियोजन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
10. किसी प्रकार का विवाद आपसी समझौते से सुलझाया जायेगा और अन्यथा की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा। आरब्रिट्रेशन समिति को है जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक, चिकूटधाम क्षेत्र–बाँदा को नामित किया गया है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम..................क्षेत्र।
3. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा को प्रचार–प्रसार हेतु।
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा को प्रचार–प्रसार हेतु।
5. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी महोदय, कार्यालय जनपद बाँदा।
6. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय एवं डिपो कार्यालय चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
चित्रकूटधाम क्षेत्र–बाँदा

Downloaded from www.upsrtc.com